

**कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
इन्दिरानगर, विकास भवन, लखनऊ।**

पत्रांक: 200 / पि0व0क0 / छात्रवृत्ति / 2023-24

दिनांक: 19 सितम्बर, 2022

- 1- समस्त कुल सचिव/रजिस्ट्रार केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, लखनऊ (नाम से)
- 2- समस्त प्रबन्धक/कुल सचिव/रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य सम्बन्धित विद्यालय/इन्जीनियरिंग कालेज/पैरामेडिकल/पॉलीटेकनिक/महाविद्यालय/आई0टी0आई0, मान्यता प्रदाता संस्थाएं, जनपद-लखनऊ (नाम से)
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ (नाम से)

विषय: शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को विशेष प्राथमिकता के आधार पर शासन द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन भरवाने एवं समयान्तर्गत अग्रसारित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: 1615 दिनांक: 18 सितम्बर, 2023 द्वारा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 72/2023/ 2851/26-3-2023/सीएन-1741061 दिनांक: 15 सितम्बर, 2023 में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर वितरण तक कार्यवाही किये जाने एवं शिक्षण संस्थाओं को संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में मास्टर डाटा अपडेट कर लॉक की कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत समय-सारिणी निर्गत की गयी है। **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्गत समय-सारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक: 21 सितम्बर, 2023 से 19 दिसम्बर, 2023 तथा छात्र/छात्राओं को आवेदन करने हेतु दिनांक: 22 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तथा शिक्षण संस्थाओं को पात्र छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदनों को अग्रसारित करने हेतु दिनांक: 25 सितम्बर, 2023 से 11 जनवरी, 2023 की तिथि निर्धारित की गयी है।**

अतः जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा समयान्तर्गत अपडेट कर लॉक करने तथा शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के शतप्रतिशत पात्र छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित उक्त समय-सीमा के अन्दर विशेष प्राथमिकता के आधार पर शासन की मंशानुरूप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्र भरने हेतु उत्साहित करने तथा अपने लॉगिन पर प्राप्त समस्त आवेदन-पत्रों को समयान्तर्गत अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी अन्य पिछड़ी जाति का पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित न रह पायें एवं समयान्तर्गत छात्रवृत्ति के वितरण का कार्य किया जा सके।
संलग्नक: यथोपरि।

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक/तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपदीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति।

3-मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जनपदीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
लखनऊ

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश,
10वां तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: 1615/पि0व0क0/2023-24 लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2023

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उ0प्र0।

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-72/2023/2851/26-3-2023/CN-1741061, दिनांक 15 सितम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण आदि के लिए समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-72/2023/2851/26-3-2023/CN-1741061, दिनांक 15 सितम्बर, 2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है, कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण आदि हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Su
18.9.23
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक
H

पृष्ठांकन सं0-1615/पि0व0क0/2023-24/तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0।

Su
18.9.23
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक
H

88826/2023

संख्या- 72/2023/2851/26-3-2023/C.N.-1741061

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ०प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 अगस्त, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2597/स०क०/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्पोरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<p>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना।</p> <p>वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना।</p> <p>मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।</p>	21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक

I/388826/2023

2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया		
3	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक
4	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 जनवरी, 2024 तक
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक
6	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक
8	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके	12 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक

8826/2023

	शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	
10	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	31 जनवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक
11	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	31 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2024 तक
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	13 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
14	जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	04 मार्च, 2024 तक
15	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	10 मार्च 2024 तक
16	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 मार्च 2024 तक

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयवाधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- उक्त समय-सारिणी के समयवाधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

- 2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में
- पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-
- क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।
- ख- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।
- ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर।
- 7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)

विशेष सचिव।

Signed by रजनीश चन्द्र

Date: 13-09-2023 17:42:48

Reason: Approved

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।